रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1989/भाद्र 24, 1911
No. 490] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1989/BHADRA 24, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1989

सं. 42/89—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173ज के उपनियम (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान कलक्टर को, उसको अभ्यावेदन किए जाने पर यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगा जो वह आवश्यक समझे" ।

[फा. सं. 212/31/89-सीएक्स-6
एच. के. मित्तल, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1989

No. 42/89—CENTRAL EXCISES (N. T.)

G.S.R. 832 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of th Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereb makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 194 namely :—

(1) These rules may be called the Central Excise (Eighth Amend ment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in th Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 173-H, in sub-rule (1), afte the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that the Principal Collector of Central Excise may on a representation being made to him, if he is of opinion tha having regard to the circumstances of the case, it is necessary so t do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing extend the period specified in the first proviso to such extent a he may consider necessary.

[F. No. 212/31/89-CX. 6
H. K. MITTAL, Under Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989